19/5/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 16/5/18 को पेश हो।

पत्रावली का लोक अदालत कैम्प निमोदा में चयन किया गया है। पत्रावली दि. 16.5.18 निमोदा कैम्प मे पेश हो।

16/5/18 पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 16/5/18 कैम्प निमोदा को पेश हो।

16/5/18 पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं बन पाई, पत्रावली दि. 4/6/18 को न्यायालय में पेश हो। कैम्प मुण्डला

राजेन्द्र

4/6/18 पत्रावली लोक अदालत कैम्प मुण्डला मे पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता उप०। वकील वादी को वांछित रिलीफ के क्रम मे सुना गया। वादी ने वाद विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88-89 RTA मे प्रस्तुत कर ग्राम डेगारिया तहसील दीगोद स्थित ख०नं० 437 रकबा 0.31 हे० भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के पिता का नाम रामचन्द्र के स्थान पर रामचरण अथवा रामचन्द्र उर्फ रामचरण दर्ज करने का निवेदन

वादी राजेन्द्र मेहर के पिता का नाम रामचरण है

सरपंच
ग्राम पंचायत मुण्डला
पं० स० सुल्तानपुर, जि. कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... जो किस... तामील में...
	किया। मजमे आम मे पत्रावली का अवलोकन किया तथा जवाब सरकार का प्रकरण के संदर्भ मे विधिवत विचारण किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सं० 2070-73 वाके ग्राम डगारिया स्थित खाता नं० 156 के राजस्व रिकॉर्ड मे रामचरण दर्ज रिकॉर्ड है, जबकि ग्राम डगारियां स्थित खाता नं० 101 के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के पिता का नाम रामचन्द्र दर्ज रिकॉर्ड है। वादी के पहचान के दस्तावेजों मे पिता का नाम रामचरण अंकित है। मजमे आम मे जानकारी करने पर वादी के पिता का नाम ~~रामचन्द्र~~ रामचरण होना जाहिर आया, इस बाबत् सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डला द्वारा तस्दीक किया गया।	
	इस प्रकार प्रकरण मे यह तय है कि वादी के पिता का वास्तविक नाम रामचरण ही है। वादी की ओर से इस बाबत् स्वयं का शपथ पत्र एवं पडोसी खेत वाले, पुष्पचन्द एवं लक्ष्मीनारायण के शपथ पत्र पेश किये है। ग्राम पंचायत मुण्डला द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार रामचन्द्र एवं रामचरण दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होना प्रकट किया गया है। तदनुसार प्रस्तुत साक्ष्यो के अनुसरण मे वाद वादी स्वीकार योग्य है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम डगारिया तह० दीगोद स्थित ख०नं० 437 रकबा 0.31 हे० भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचरण उर्फ रामचन्द्र दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय	

रामचरण दर्ज (किया जावे)